<u>राजस्थान सरकार</u>

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.</u>

राजस्व वाद संख्या– 52/21
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/52
दायर दिनांक– 09.06.2021
निर्णय दिनांक– 29.03.2023

1. भंवरी देवी पत्नि राधेश्याम
2. भंवरी देवी पत्नि मोतीराम

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रार्थीयागण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी,अधि0 प्रार्थियागण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

<u>–:निर्णय:–</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण की संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा एवं आबादी भूमि पट्टा विलेखशुदा आवासीय भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 270 वर्गगज वाकै ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में आबादी भूमि ख0न0 1203 गै0मु0आबादी में स्थित है। उक्त आवासीय भूखण्ड की सम्पति को प्रार्थीयागण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 13.10.2020 को अनिल पुत्र कालू जाति खटीक से पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया। प्रार्थीयागण के वर्णित आवासीय भूखण्ड सम्पति के पूर्व दिशा में किशनगढ़ रोड़ निर्धारित दूरी छोड़ कर स्थित है तथा प्रार्थीयागण के उक्त आवासी भूखण्ड सम्पति का आवागमन का मुख्य निकास भी पूर्व दिशा की तरफ से ही होता चला आ रहा है। वर्णित आवासीय भूखण्ड सम्पति के पूर्व दिशा में मुख्य सड़क तक जो आवागमन होता रहता है, के सामने अप्रार्थी संख्या 1 के अधीनस्थ विभाग पटवार घर, रूपनगढ़ बी को 30 वर्ष आवंटन अवधि के लिए किया गया था जो ख0न0 1202 में राजस्व नक्शा व जमाबन्दी में अंकन किया गया है। पटवार घर रूपनगढ़ बी को जमीन आवंटन की गयी है जो सही है लेकिन तरमीम सहवन से गलत रूप से करके प्रार्थीयागण के आवासीय भूखण्ड सम्पति के सामने [illegible] की तरफ कर दी गयी है जिससे प्रार्थीयागण की सम्पति का मुख्य आवागमन मुख्य [illegible]क [illegible] आने जाने में बाधित हो गया है, जिसको दुरस्त करवा कर उक्त पटवार घर रूपनगढ़ [illegible] को आवंटित की गयी जमीन की तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की सम्पति के [illegible] है उसको अन्य स्थान पर तरमीम करवाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] आवश्यक हुआ है। व[illegible] में पटवार घर को आवंटित जमीन पर किसी प्रकार को निर्माण भी नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 15:38:14 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रूपनगढ जमावन्दी संवत् 2073 से 2076 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 2226 में ख0न0 1203 रकबा 0.5663 है0 किस्म गै0मु0आबादी ग्राम पंचायत रूपनगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम रूपनगढ जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 2224 में ख0न0 1204 रकबा 0.0161 है0 किस्म गै0मु0छापर भूमि पटवार घर रूपनगढ़ बी 30 वर्षीय पट्टा व 99 वर्षीय कालावधि हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।प्रार्थीगण के आवासीय भूखण्ड से रूपनगढ़–किशनगढ़ पक्की सड़क तक आवागमन हेतु 20 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर अलग से उपलब्ध है।

पटवार घर रूपनगढ़ बी हेतु आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1202 की नक्शें में की गई तरमीम के स्थान पर मौके पर पटवार घर रूपनगढ़ बी की नींव भरी हुई है जिससे प्रार्थीगण के आवासी भूखण्ड में आवागमन किसी तरह से बाधित नहीं होता है। पटवार घर रूपनगढ़ बी हेतु आवंटित भूमि ख0न0 1202 की नक्शे में की गई तरमीम के स्थान पर ही मौके पर नींव भरी हुई है जिसमें सरकारी राशि खर्च हुई है। मौके पर पटवार घर रूपनगढ़ बी की नीवं नक्शें में वर्तमान में अंकित ख0न0 1202 की जगह ही हुई है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर राजहित प्रभावित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने योग्य है।

वकील प्रार्थियागण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थियागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थियागण की आधिपत्य व स्वामित्व की आबादी भूमि में स्थित सम्पति पर पटवार घर रूपनगढ़ बी को आवंटित की गई भूमि ख0न0 1202 नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गयी है, जिसे दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में सही इन्दाज करवाने की कृपा करावें। पेरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तरमीम राजस्व रिकार्ड अनुसार सही है तथा तरमीम में परिवर्तन से राजहित भी प्रभावित होता है। अतः प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ के अधीनस्थ कार्यालय पटवार घर रूपनगढ़ बी को आवंटित भूमि ख0न0 1202 की नक्शें में की गयी तरमीम सही है। प्रार्थियागण द्वारा चाही गयी नक्शा ट्रेस शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त भूमि राजकीय संस्थान (पटवार घर रूपनगढ़ बी) को आवंटित की हुई है। अतः प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:14 IST
Reason: SelfAttested

29.3.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)